फा. सं.एच-11011-1/2025-एई-4

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1774

उत्तर देने की तारीख 10.03.2025

महिला साक्षरता दर

1774. **श्री उज्ज्वल रमण सिंह:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-2024 के दौरान देश में उत्तर प्रदेश और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार महिला साक्षरता दर की स्थिति क्या है;

(ख) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में महिला साक्षरता दर कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2023-2024 के दौरान देश में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का उत्तर प्रदेश और बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर का उत्तर प्रदेश और बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। गैर-साक्षरों का बढ़ा हुआ बैकलॉग, निर्धनता, लैंगिक और सामाजिक श्रेणी असमानताएं आदि जैसे अनेक कारक देश के साक्षरता परिदृश्य को प्रभावित करते हैं।

(ग) देश में वयस्कों के बीच महिला साक्षरता दर सहित साक्षरता दर में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 2027 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, जिसे उल्लास : समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम समझ के रूप में जाना जाता है। एनईपी 2020 के अनुरूप, यह

योजना उन वयस्कों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सके। इस योजना के पाँच घटक हैं, नामतः : (i) मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, (ii) महत्वपूर्ण जीवन कौशल, (iii) बुनियादी शिक्षा, (iv) व्यवसायपरक कौशल, और (v) सतत शिक्षा।

यह योजना हाइब्रिड मोड में कार्यान्वित की गई है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता सहित मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड अपनाने की सुविधा मिलती है। उल्लास, जो कर्तव्यबोध (कर्तव्य की भावना) से प्रेरित है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवा के माध्यम से स्कूल मंच और सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करते हुए भारत को 'जन-जन साक्षर' बनाने की दृष्टि से कार्य करता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं और अन्य कमजोर समुदायों इत्यादि पर केंद्रित है।

शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों के पंजीकरण हेतु एक समर्पित उल्लास मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और इसके साथ ही, यह 26 भाषाओं में प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। अब तक, उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी पहले ही मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (एफएलएनएटी) नामक साक्षरता परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश भी इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है और उल्लास योजना के तहत 13.22 लाख से अधिक शिक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश ने अपनी चार एफ़एलएनएटी परीक्षाएँ आयोजित की हैं, जिनमें 6.10 लाख से अधिक शिक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। बिहार राज्य ने अभी तक उल्लास योजना को कार्यान्वित नहीं किया है।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा 'महिला साक्षरता दर' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 1774 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार महिला साक्षरता दर (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24
	अखिल भारत	**74.6**
1	आंध्र प्रदेश	66.8
2	अरुणाचल प्रदेश	80.3
3	असम	83.6
4	**बिहार**	**66.1**
5	छत्तीसगढ़	70.6
6	दिल्ली	81.5
7	गोवा	90.0
8	गुजरात	77.5
9	हरियाणा	77.4
10	हिमाचल प्रदेश	83.1
11	झारखंड	70.6
12	कर्नाटक	77.3
13	केरल	94.0
14	मध्य प्रदेश	67.0
15	महाराष्ट्र	81.6
16	मणिपुर	89.7
17	मेघालय	93.5
18	मिजोरम	97.0
19	नागालैंड	94.1
20	ओडिशा	73.3
21	पंजाब	79.8
22	राजस्थान	65.8
23	सिक्किम	79.3
24	तमिलनाडु	81.3
25	तेलंगाना	69.4
26	त्रिपुरा	91.6
27	उत्तराखंड	77.2
28	**उत्तर प्रदेश**	**70.4**
29	पश्चिम बंगाल	79.3
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	87.0
31	चंडीगढ़	90.7
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	80.7
33	जम्मू और कश्मीर	73.8
34	लद्दाख	73.1
35	लक्षद्वीप	94.8
36	पुडुचेरी	88.8

* वर्ष 2023-24 के लिए सर्वेक्षण में चंडीगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र को शहरी माना गया है

आंकड़ों का स्रोत - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

*****